

तारीख हुक्म

32/2014


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामप्रताप / लखनऊ

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए


5/10/14


पद्यापत्नी फेम इरी वकील अमरपद्म इपठ। वकील
अमीलाक्षी ने समझ-बाह। पद्यापत्नी वान्ते कस शण्डर
डिकॉर्ड 26/10/14 को फेम लें।


इतिरिक्त संभागीय आयुक्त
लखनऊ

26/10/21

पद्यापत्नी फेम इरी अमीलाक्षी एवं वकील अमीलाक्षी
अनुपस्थित। वकील रेस्यो 0370/ अमीलाक्षी एवं वकील
अमीलाक्षी को कबि कर आवाज सगरी करिगल्लु
अमीलाक्षी एवं वकील अमीलाक्षी अनुपस्थित रहे। अंतिम
आवाज सायं 4:30 बजे सगरी करि। प्रि की अमीलाक्षी
एवं वकील अमीलाक्षी अनुपस्थित रहे। अतः अमील
अमीलाक्षी अदम लखरी अदम पैरकी में खास
की जाती है। अदम लखरी अदम पैरकी का रिकॉर्ड निरीक्षण
प्रति के साथ जोगया जारे। इस न्यायालय की फरारी
जेलु कुमा नम्बर से कम लेका बाड मुक्ति लेक
गण्डर लें।


26/10/2021.
इतिरिक्त संभागीय आयुक्त
लखनऊ



अपील नं. 32/2014

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय

2014/00031

जयपुर

उद्दिष्ट

रामप्रताप पुत्र श्योनारायण/कौम गुर्जर निवासी गढ तहसील सिकराय जिला दौसा

.....अपीलान्ट /

बनाम

1. लल्लू राम पुत्र बुद्धा लाल
2. भगवान सहाय पुत्र बुद्धा लाल
3. समस्त जाति कोली निवासी गढ तहसील सिकराय जिला दौसा
4. रामसिंह पुत्र बुद्धा लाल जाति कोली निवासी गढ तहसील सिकराय जिला दौसा हाल कोटला नई दिल्ली।
5. चौथी पत्नि कोड पुत्री बुद्धालाल जाति कोली निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा
6. मांगीदेवी पत्नि नानगराम पुत्री बुद्धालाल जाति कोली निवासी कोटला नई दिल्ली।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी सिकराय जिला दौसा
8. नायब तहसीलदार जी सिकराय जिला दौसा

.....रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, दौसा जिला दौसा निर्णय दिनांक 6.1.2014, बाबत नामान्तकरण संख्या 649 दिनांक 15.12.2010 वाके ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा के सम्बन्ध मे अपील उनवानी लल्लूराम बनाम राज.सरकार वगैराह, अपील संख्या 14/2012

महोदयजी,

अपील अपीलान्ट निम्नांकित प्रस्तुत है:-

1. यह है कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 421/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित है। उक्त भूमि बुद्धालाल पुत्र नानगराम कोली निवासी गढ तहसील सिकराय की खातेदारी मे थी, उक्त भूमि का बुद्धालाल पुत्र नानगराम कोली ने अपीलान्ट रामप्रताप गुर्जर के हक मे बेचान

नि. राम प्रताप